भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 314

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम

***314. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विगत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अधीन सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रयुक्त और अप्रयुक्त निधि तथा चलाए गए प्रमुख कार्यकलापों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कुछ कंपनियां अपनी सीएसआर निधि का उपयोग अपने कर्मचारियों, परिवहन सुविधाओं, क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, स्कूलों और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा जन संपर्क बनाए रखने में करती हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा सीएसआर निधि का नियमानुसार समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारामन)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम से संबंधित दिनांक 15 जुलाई, 2019 को लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 314* (चौदहवां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय की गई धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए निम्नानुसार है :

फाइलिंग का वर्ष	**वित्त वर्ष 2015-16**		**वित्त वर्ष 2016-17**		**वित्त वर्ष 2017-18***	
	कंपनियों की संख्या	**व्यय की गई कुल धनराशि (करोड़ रु. में)**	**कंपनियों की संख्या**	**व्यय की गई कुल धनराशि (करोड़ रु. में)**	**कंपनियों की संख्या**	**व्यय की गई कुल धनराशि (करोड़ रु. में)**
पीएसयू	461	4202.14	407	3285.52	76	1479.33
गैर-पीएसयू	21603	10325.45	21063	10956.89	3041	6886.02
कुल योग	**22064**	**14527.59**	**21470**	**14242.41**	**3117**	**8365.35**

***आंकड़े 20.10.2018 तक**

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के बारे में कंपनियों द्वारा सूचित किया गया समस्त डाटा राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल (www.csr.gov.in) पर उपलब्ध है। कंपनियों का सीएसआर व्यय महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए अनुलग्नक-। पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-VII में उन क्षेत्रों अथवा कार्यकलापों की सूची दी गई है जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के रूप में कंपनियों द्वारा किए जा सकते हैं। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(5) में निर्धारित है कि ऐसी सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप जो कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को ही लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें सीएसआर कार्यकलाप नहीं माना जाएगा। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय की गई धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए अनुलग्नक-II पर उपलब्ध है।

(घ): संपूर्ण सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एमसीएस-21 रजिस्ट्री में वार्षिक फाइलिंग में सीएसआर संबंधी पहलों को फाइल करें। सरकार ने हाल ही में कंपनियों द्वारा अनुपालन की निगरानी करने के लिए केंद्रीकृत संवीक्षा और अभियोजन ढांचा स्थापित किया है। जब कभी सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन पाया जाता है, तो सूचना मंगवाने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। गैर-अनुपालन की बात स्थापित होने के पश्चात्, विधि की सम्यक् प्रक्रिया अपनाकर अभियोजन हेतु संस्वीकृति प्रदान की जाती है। अब तक, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 366 मामलों में अभियोजन हेतु संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूचना मांगने के लिए 5,382 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अधिनियम के अधीन, सीएसआर का गैर-अनुपालन प्रशम्य है और अब तक 60 कंपनियों द्वारा इसके लिए आवेदन फाइल किया जा चुका है।

******

अनुलग्नक-I

लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सीएसआर व्यय			
राज्य/संघ शासित (क्षेत्र)	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18***
अंडमान और निकोबार	0.55	0.83	0.00
आंध्र प्रदेश	1256.42	753.3	118.52
अरूणाचल प्रदेश	1.48	23.65	1.2
असम	167.66	270.14	38.17
बिहार	110.21	100.77	23.85
चंडीगढ	5.33	21.89	16.3
छत्तीसगढ	240.45	84.65	6.52
दादरा एवं नागर हवेली	12.03	7.57	2.28
दमन और दीव	2.43	2.63	5.18
दिल्ली	488.39	517.37	222.32
गोआ	30.54	35.86	29.2
गुजरात	564.45	859.77	376.75
हरियाणा	374.25	376.43	108.49
हिमाचल प्रदेश	52.39	23.83	8.04
जम्मू और कश्मीर	107.81	42.69	5.45
झारखंड	118.67	95.28	26.99
कर्नाटक	790.92	883.53	596.37
केरल	147.37	133.03	45.19
लक्षद्वीप	0.30	0.00	1.87
मध्य प्रदेश	186.04	284.65	67.66
महाराष्ट्र	2043.75	2465.51	1430.39
मणिपुर	6.28	11.92	0.00
मेघालय	6.52	10.97	0.76
मिजोरम	1.07	0.08	0.16
नागालैंड	0.96	0.92	0.36
एनईसी/उल्लिखित नहीं है	0.00	6.81	0.00
ओडिशा	623.91	317.01	308.92
पुदुचेरी	6.44	7.51	1.65
पंजाब	69.8	75.6	26.62
राजस्थान	503.45	324.81	136.33
सिक्किम	1.98	6.83	4.5
तमिलनाडु	631.49	544.58	352.11
तेलंगाना	258.37	245.73	119.98
त्रिपुरा	1.47	1.25	1.16
उत्तर प्रदेश	422.76	321.97	122.6
उत्तराखंड	73.15	101.53	37.7
पश्चिम बंगाल	415.88	286.62	157.14
समस्त भारत**	4802.62	4994.89	3964.62
कुल योग	**14527.59**	**14242.41**	**8365.35**

*कंपनियों द्वारा दिनांक 20.10.2018 तक की गई फाइलिंग के आधार पर।

** कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए हैं या एक से अधिक राज्यों का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं निष्पादित की गई थीं।

****

अनुलग्नक-II

लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 314* के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)			
विकास क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**
कृषि-वानिकी	57.64	43.45	7.5
पशु कल्याण	66.66	78.3	16.54
सशस्त्र सेनाएं, योद्धा, वीरांगनाए/आश्रित	11.14	37.08	16.24
कला और संस्कृति	119.08	304.43	212.43
निर्मल गंगा कोष	32.82	24.37	2.11
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	38.19	117.07	144.84
शिक्षा	4081.73	4459.68	2705.3
पर्यावरण संरक्षण	809.86	1072.34	837.49
लैंगिक समानता	73.24	72.69	11.04
स्वास्थ्य सेवाएं	2574.2	2468.75	1144.83
आजीविका संवृद्धि परियोजनाएं	400.82	514.17	473.11
एनईसी/उल्लिखित नहीं है	1065.23	388.96	0.00
केंद्र सरकार की अन्य निधियां	332.92	417.99	215.66
गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का निवारण	1238.87	604.9	421.21
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	217.23	157.58	60.4
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1379.09	1548.95	1066.52
स्वच्छ पेयजल	173.84	145.9	107.86
स्वच्छता	620.6	420.64	99.64
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	21.9	26.81	9.47
महिलाओं के लिए घर और छात्रावासों की स्थापना	29.11	62.25	54.93
अनाथाश्रम की स्थापना	17.99	16.27	30.42
स्लम क्षेत्र विकास	14.31	51.46	4.7
सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	75.64	145.83	74.56
विशेष शिक्षा	127.07	164.8	56.81
स्वच्छ भारत कोष	325.2	183.83	118.69
प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	26.77	23.09	5.2
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	138.92	178.53	121.94
व्यावसायिक कौशल	332.93	372.64	251.54
महिला सशक्तिकरण	124.59	139.65	94.37
कुल योग	14527.59	14242.41	8365.35

(20.10.2018 तक कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर)

******